अपील सूचना अधिकार संख्या 129/2021 (GCMS 2021/210)(आईटीआई पोर्टल नं. 212830141134319) रामस्वरूप स्वामी पुत्र नारायण दास स्वामी जाति स्वामी निवासी 46 आरबी "बी" राजपुरा जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 96499-54089) <u>बनाम</u> उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>27.06.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामस्वरूप स्वामी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2021 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.10.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से निम्न सूचना चाही थी:

दिनांक 24.03.2021 को भेजा गया रजिस्टर्ड पत्र में वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा (46 आर बी"बी") के तीसरी संन्तान होने के कारण आज दिनांक 15.10.2021 तक आप द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करें।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने पत्र क्रमांक 2538 दिनांक 08.12.2021 से अपीलार्थी को निम्न जवाब प्रेषित किया है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत ... द्वारा प्राप्त पत्र के क्रम में विकास अधिकारी पंचायत समिति, पदमपुर को जांच एवं कार्यवाही करने के लिए प्रेषित कर दिया गया है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट(एस.डी.एम.) राजस्थान पंचायतीराज नियमों

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 129/2021

के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत पंचायत राज विभाग के अधिकारी यथा विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर के समक्ष मय साक्ष्य अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

-sd-

तहसीलदार (राजस्व)
पदमपुर

चूंकि **उपखण्ड अधिकारी, पमदपुर द्वारा** अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 08.12.2021 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि उनके **द्वारा चाही गई** सूचना का सम्बन्ध विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से होने के कारण उन्होनें ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी को स्थानान्तरित किया जा चुका है। **अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को विकास अधिकारी, पंचायत समिति के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचना हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील यहां से खारिज की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, **पदमपुर को** पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.30 16:04:42 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर